के. एस. रेजीमोन

शोयाबअहमद कलाल

डॉ अमृत पाल कौर

विकसित भारत का आधार सहकारी संघवाद

विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सफर केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा राष्ट्रीय प्रयास है। सहकारी संघवाद विश्वास, सहयोग और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य, जिले और स्थानीय संस्थाएं मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं और लोगों का जीवन बेहतर बनाते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़कर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे।

2047 तक भारत का विकसित देश बनने का सफर केवल तेज़ी से आर्थिक विकास करने या विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, बेहतर आजीविका, भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा और उन्नति के अधिक अवसर मिलें, चाहे वह बड़े शहर, छोटे कस्बे या दूरदराज के गांव में रहता हो।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, ये लक्ष्य केंद्र सरकार अकेले हासिल नहीं कर सकती। हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, संसाधन और विकास की प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए, देश की प्रगति सभी राज्यों की सामूहिक प्रगति पर निर्भर करती है।

राज्यों की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति

जैसा कि प्रधानमंत्री ने अक्सर ज़ोर दिया है, "जब राज्य प्रगति करते हैं, तो भारत प्रगति करता है।" यही सोच सहकारी संघवाद का आधार है। सहकारी संघवाद केवल एक संवैधानिक सिद्धांत नहीं है। यह शासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें केंद्र और राज्य बराबर के साझेदार के तौर पर मिलकर काम करते हैं। इसमें साझी राष्ट्रीय विज़न के साथ स्थानीय स्तर के कारगर समाधानों का मेल होता है। इसके फलस्वरुप हर राज्य 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य में अपने तरीके से योगदान दे पाता है।

परामर्श से सह-निर्माण तक

पिछले कुछ दशकों में, भारत के संघीय शासन के मॉडल में काफी बदलाव आया है। पहले, केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत अक्सर केवल परामर्श अथवा धन के लेन-देन तक ही सीमित रहती थी। आज, यह संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक सहयोग पर आधारित है, जिसमें लगातार बातचीत, सूचना का आदान-प्रदान और मिलकर समस्याओं को सुलझाना शामिल है।

नीति आयोग सहकारी संघवाद को मज़बूत करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था और शीर्ष नीति थिंक-टैंक के तौर पर उभरा है। यह एक ऐसा माहौल तैयार

नीति आयोग ने 12 जून, 2026 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद आयोजित किया।

लेखक नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं। ईमेलः ks.rejimon@nic.in, सह-लेखकः शोयाबअहमद कलाल, निदेशक, नीति आयोग (ईमेलः s.kalal@nic.in) और डॉ अमृत पाल कौर, लोक नीति विशेषज्ञ, नीति आयोग (ईमेलः amrit.pal44@nic.in)

करता है जहां केंद्र और राज्य मिलकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देते हैं और सरकारों के बीच सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की शासी परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) में मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल शामिल होते हैं। यह परिषद् केंद्र-राज्य नीतिगत बातचीत के लिए शीर्ष मंच का काम करती है। यह साथ मिलकर नीति-निर्माण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। 2026 में हुई 11वीं शासी परिषद् की बैठक ने 'विकसित भारत@2047' के विजन को हासिल करने में राज्यों के समान साझेदार के तौर पर अहम भूमिका को और मज़बूत किया है।

इसके साथ ही, मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन अब क्रियान्वयन पर केंद्रित एक मंच बन गया है। यह वरिष्ठ प्रशासकों को एक साथ लाता है ताकि वे शासन के समक्ष उपलब्ध चुनौतियों पर चर्चा कर सकें, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कार्रवाई योग्य रणनीतियों में बदल सकें और लागू करने वाले मंत्रालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तालमेल को बेहतर बना सकें।

इन उच्च-स्तरीय मंचों के अलावा, क्षेत्रीय चर्चाओं, विषयगत कार्य समूहों, क्षेत्र-विशिष्ट चर्चाओं और नीति आयोग के प्रभागों व राज्य सरकारों के बीच नियमित बातचीत के माध्यम से लगातार जुड़ाव बना रहता है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे सामाजिक क्षेत्रों से लेकर ऊर्जा, आधारभूत संरचनाओं और उद्योग जैसे आर्थिक क्षेत्रों और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी व डेटा-आधारित शासन जैसे उभरते क्षेत्रों तक को शामिल किया जाता है। ये गतिविधियां एकतरफा नीति-निदेश के बजाय मिलकर समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देती हैं।

नतीजा यह है कि अब परामर्श से आगे बढ़कर मिलकर नीति-निर्माण (को-क्रिएशन) की ओर बदलाव आया है, जहां नीतियां सामूहिक रूप से तैयार की जाती हैं और उन्हें लागू करना सबकी साझी जिम्मेदारी बन जाती है।

दीर्घकालिक विकास के लिए सुदृढ़ संस्थागत ढांचों का निर्माण

भविष्य के लिए विजन तैयार करना केवल पहला कदम है। उस विजन को हासिल करने के लिए ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत होती है जो वर्षों तक उसे लागू करने का काम जारी रख सकें। इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर 'विजन 2047' दस्तावेज़ तैयार करने पर काम कर रहा है। जो उनकी खास खूबियों और विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाने के साथ-साथ 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप हों।

हालांकि, केवल विजन दस्तावेज़ लोगों का जीवन नहीं बदल सकता। उन्हें ऐसी संस्थाओं का सहारा चाहिए जो अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाएं, प्रगति पर नज़र रखें और सरकारों तथा प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बदलने के बावजूद काम में निरंतरता बनाए रखें।

परिवर्तनकारी संस्थाओं से नीति नवाचार

'राज्य सहायता मिशन' (एसएसएम) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संस्थागत क्षमता को मज़बूत करके इस ज़रूरत को पूरा करता है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग 'स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' (एसआईटी) बनाने में मदद करता है या मौजूदा योजना से जुड़े विभागों को कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई नीति संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए मज़बूत करता है। कई राज्यों ने परिवर्तन के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना की है, जबकि अन्य राज्यों ने अपने योजना विभागों को बहुविषयक नीति संस्थानों के रूप में सुदृढ़ किया है, जो दीर्घकालिक सुधारों को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। नीति

आयोग की तर्ज पर निर्मित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसके उदाहरण हैं।

ये संस्थाएं राज्यों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, दीर्घकालिक विकास संबंधी रणनीतियां बनाने, निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाने, विभागों के बीच तालमेल को आसान बनाने और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। यह मिशन राज्यों को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, विषय के विशेषज्ञों और शोध संगठनों के साथ मिलकर काम करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतिगत फैसले हमेशा ज्ञान और साक्ष्य-आधारित हों।

इस संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का असर पूरे देश में पहले से ही दिख रहा है। राज्य अपनी मज़बूत संस्थाओं का इस्तेमाल दीर्घकालिक विकास का विजन तैयार करने, भविष्य को ध्यान में रखकर नीतिगत शोध करने और शासन संबंधी नवीन और बेहतर समाधान तैयार करने के लिए कर रहे हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने एसआईटी के माध्यम से 'विजन 2047' संबंधी अपनी पहल को आगे बढ़ाया है, जबकि 'गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' ने ई-वेस्ट इकॉनमी और स्पेशियल कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों पर नीतिगत पेपर तैयार किए हैं। तमिलनाडु में, एसआईटी साक्ष्य-आधारित योजना और अलग-अलग क्षेत्रों से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक 'अनुभवात्मक केंद्र' बना रहा है, जबकि मेघालय सरकार का 'इनोवेशन लैब' मानव विकास के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए नए और बेहतर तरीके अपना रहा है। प्रमुख ज्ञान संस्थानों के साथ साझेदारी ने इस इकोसिस्टम को और भी समृद्ध किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने त्रिपुरा की औषधि नीति (फार्मास्यूटिकल पॉलिसी) तैयार करने में मदद की, और आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड में प्लानिंग को मजबूत करने के लिए एक 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' विकसित किया है।

ये उदाहरण बताते हैं कि 'राज्य सहायता मिशन' (एसएसएम) केवल संस्थाओं को मज़बूत नहीं कर रहा है; बल्कि यह साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, नवाचार और मिलकर काम करने वाली शासन की संस्कृति भी तैयार कर रहा है।

सुदृढ़ संस्थान निरंतरता बनाए रखते हैं, काम को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करते हैं और दीर्घकालिक विजन को मापनीय परिणामों में बदलते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

सहकारी संघवाद की असली सफलता नीतिगत चर्चाओं या समीक्षा बैठकों में नहीं, बल्कि उन गांवों, कस्बों और जिलों में मापी जाती है, जहां नागरिक सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में ठोस सुधार का अनुभव करते हैं। जमीनी स्तर पर सहयोगात्मक शासन से ही बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, बेहतर आजीविका और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है।

इस सोच का एक उदाहरण 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम' (एडीपी) है। इसे 2018 में भारत के 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव को तेज़ करने के लिए शुरू किया गया था। देश की लगभग 16 प्रतिशत आबादी को कवर करने वाला यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी करता है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसने शासन का ध्यान व्यय को मापने से हटाकर नतीजों को मापने पर केंद्रित किया है।

यह कार्यक्रम तीन 'सी' : कन्वर्जेंस (अभिसरण), कोलैबोरेशन (सहयोग) और कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) पर आधारित है। मौजूदा केंद्रीय और राज्यों की योजनाओं के अभिसरण को बढ़ावा देकर, सरकारों, जिला प्रशासनों, विकास भागीदारों और समुदायों के बीच सहयोग को मज़बूत करके, और पारदर्शी, रियल-टाइम निगरानी के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, एडीपी ने शासन में लगातार सुधार की एक प्रणाली बनाई है। इसकी सफलता यह दर्शाती है कि बदलाव लाने वाला विकास अक्सर अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से नहीं, बल्कि बेहतर समन्वय, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत जवाबदेही और प्रभावी स्थानीय नेतृत्व से होता है।

इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम' इसी दृष्टिकोण को 331 जिलों के 513 ब्लॉक तक विस्तार करता है। इस कार्यक्रम की अवधारणा यह है कि ब्लॉक स्तर पर योजना एवं निगरानी को मज़बूत किया जाना चाहिए, क्योंकि विकास से जुड़ी कई चुनौतियां बहुत हद तक स्थानीय होती हैं। जिले के औसत आंकड़े अक्सर ब्लॉक के बीच के बड़े अंतर को छिपा देते हैं। ब्लॉक स्तर पर बेहतर योजना, निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया से स्थानीय प्रशासन को स्थानीय चुनौतियों की पहचान करने, खास तौर पर लक्षित उपाय करने और अंतिम छोर तक सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने में काफी मदद मिलती है।

नीति आयोग ने राज्यों और स्थानीय सरकारों को 'सतत विकास लक्ष्य' यानी 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एसडीजी) को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद की है, ताकि विकास के वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर जरूरी प्राथमिकताओं में बदला जा सके। एसडीजी निगरानी कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और डेटा-आधारित योजना निर्माण के माध्यम से, राज्य अब प्रगति पर नज़र रखने, कमियों की पहचान करने और शासन में सतत विकास को शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं।

ये पहल दिखाती हैं कि सहकारी संघवाद तभी सही मायने में तभी सार्थक होता है जब स्थानीय सरकारें बेहतर सूचना प्रणाली, मज़बूत संस्थाओं से सुसज्जित होने के साथ-साथ विकास परिणामों के प्रति अधिक स्वामित्व और उत्तरदायित्व रखते हैं।

डेटा-आधारित शासन : बेहतर निर्णय को सक्षम बनाना

आजकल बेहतर शासन के लिए डेटा का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सरकारों के पास बहुत सारी सूचना तो होती है, लेकिन असली चुनौती उस सूचना के आधार पर बेहतर निर्णय लेना है।

जिला में कार्यरत एक पदाधिकारी के पास कई पोर्टल, विभागीय रिपोर्ट और समीक्षा बैठकों तक पहुंच हो सकती है। फिर भी, अक्सर एक एकीकृत नज़रिए की ज़रूरत होती है: कमियां कहां हैं? कौन से ब्लॉक पीछे हैं? किन उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? दूसरी जगहों पर क्या काम आया? बुनियादी ढांचे की कौन-सी बाधाएं सेवा वितरण को प्रभावित कर रही हैं? कौन से समुदाय पीछे छूट रहे हैं? इन सवालों के जवाब के लिए ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता है जो अलग-अलग डेटासेट को निर्णय लेने योग्य विश्लेषणात्मक जानकारी में बदल सकें।

इस ज़रूरत को समझते हुए, नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल शासन संबंधी समाधानों को मज़बूत करने के लिए काम कर रहा है। ये समाधान डेटा, प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमता को मिलाकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में मदद करते हैं।

'नीति फॉर स्टेट्स' पोर्टल एक राष्ट्रीय ज्ञान भंडार के रूप में काम करता है। यह राज्यों के बीच परस्पर सीख को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दस्तावेज़ों, सर्वोत्तम प्रणालियों, डेटासेट और शासन संबंधी संसाधनों को एक जगह इकट्ठा करता है। 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यह प्लेटफ़ॉर्म देशभर के अधिकारियों के लिए पहुंच को आसान बनाता है। इसके साथ ही, 'एआई सारथी' यूजर को तेज़ी से भंडार (रिपोजिटरी) में आवश्यक सामग्री तक शीघ्र पहुंच बनाने में और आवश्यक सूचना तक पहुंचने में मदद करता है। इससे नीति बनाने और कार्यक्रम को लागू करने का काम अधिक आसान हो जाता है।

रणनीतिक योजना को मज़बूत करने के लिए, 'विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम' (वीबीएसआर) एक अनुभवात्मक डिजिटल सुविधा है, जो यह प्रदर्शित करती है कि कैसे एकीकृत डैशबोर्ड, जियोस्पेशियल विजुलाइजेशन और रियल-टाइम एनालिटिक्स डेटा-आधारित शासन में मदद कर सकते हैं। अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जा सकने वाले मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया यह रूम इस तथ्य को सामने रखता है कि कैसे कई डेटासेट को एक साथ लाकर योजना बनाने, विभागों के बीच तालमेल बिठाने और विकास के नतीजों की निगरानी में सुधार किया जा सकता है।

हाल ही में लॉन्च किया गया 'नीतितारा' (विश्लेषण यानी एनालिसिस, समीक्षा यानी रिव्यू और कार्रवाई यानी एक्शन के लिए टूलकिट), एक समेकित अनुभव-आधारित समाधान के रूप में, इस

विकसित भारत रणनीति कक्ष (वीबीएसआर)

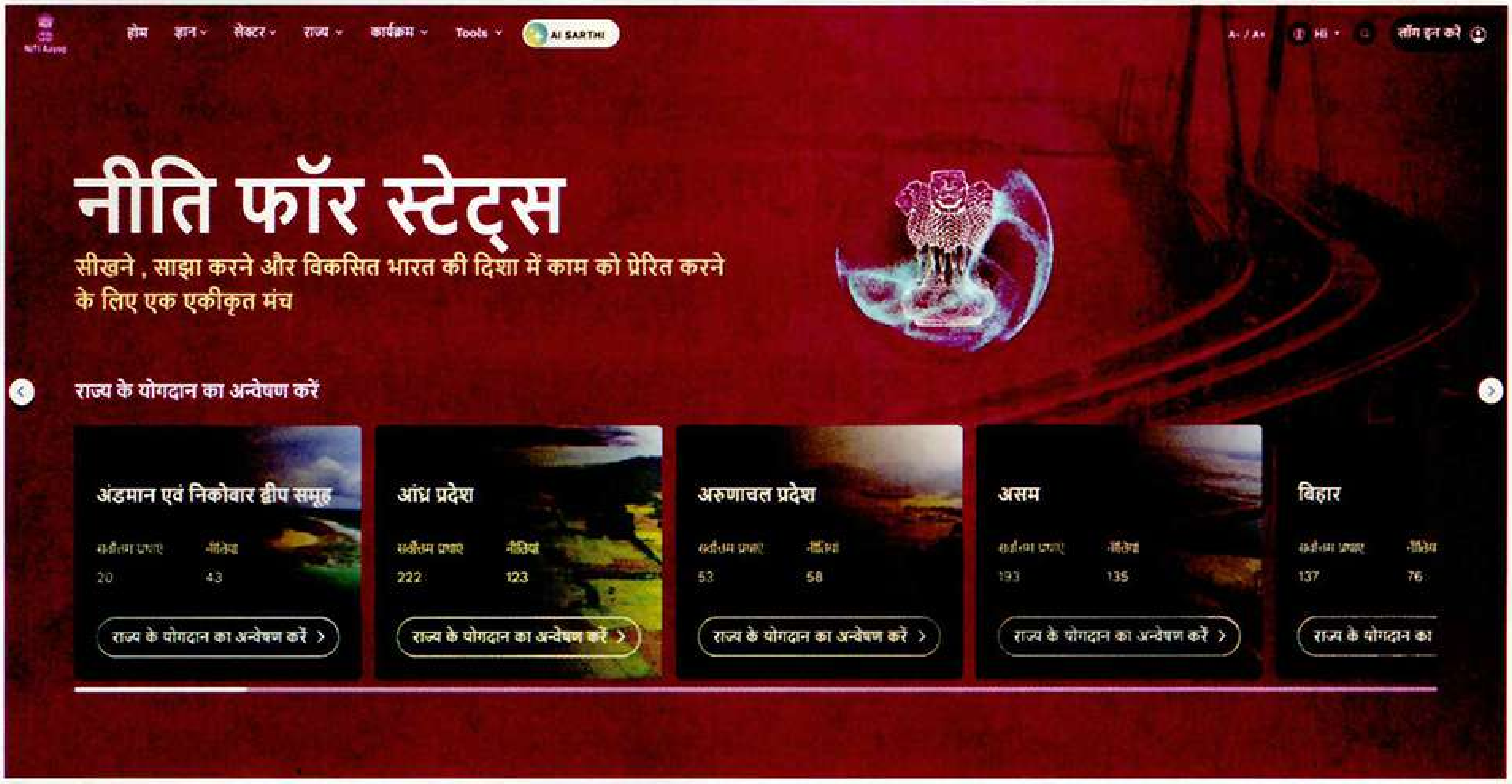

नीति फॉर स्टेट्स (एनएफएस) पोर्टल : www.nitiforstates.gov.in

दृष्टिकोण को जिला और ब्लॉक प्रशासन तक पहुंचाता है। 800 से अधिक जिलों और ब्लॉकों में इसे लागू करके, यह पहल इंटीग्रेटेड डेटा, योजना उपकरण और व्यवस्थित समीक्षा प्रणाली को क्षमता-निर्माण सहायता के साथ जोड़ती है। इससे स्थानीय प्रशासन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित उपलब्धता वाले इलाकों में भी साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण और निष्पादन संबंधी समीक्षा कर पाते हैं। कुलगाम (जम्मू-कश्मीर) और कोंडागांव (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में प्रारंभिक क्षेत्रीय क्रियान्वयन से पता चला है कि ये टूल व्यवस्थित समीक्षा में मदद करते हैं, बैठक के दस्तावेज़ीकरण को बेहतर बनाते हैं और जिला स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया को मज़बूत करते हैं।

इसी तरह, बिसाग-एन (बीआईएसएजी-एन) के साथ मिलकर तैयार की गई 'एरिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी', सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को जियोस्पेशियल सूचना के साथ जोड़ती है ताकि स्थानिक योजना निर्माण और सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता देने में मदद मिल सके। राज्यों और जिलों को स्थानीय विकास की कमियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों की पहचान करने में सक्षम बनाकर, यह सुविज्ञ और लक्ष्य-केंद्रित निर्णय लेने में मदद करती है।

ये पहल एक ऐसी शासन प्रणाली को मज़बूत कर रही हैं जिसमें डेटा केवल रिपोर्टिंग का एक माध्यम नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए एक रणनीतिक संसाधन के तौर पर काम करता है। सरकारों को प्रतिक्रियाशील प्रशासन से हटकर भविष्य की ज़रूरतों को समझने वाले और साक्ष्य-आधारित शासन की ओर बढ़ने में सक्षम बनाकर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को मज़बूत करता है और हर स्तर पर संस्थाओं को नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम देने के लिए सशक्त बनाता है।

'विकसित भारत@2047' : साझेदारी से समृद्धि तक

जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत@2047' की ओर बढ़ रहा है, सशक्त राज्य ही राष्ट्रीय प्रगति की नींव बने रहेंगे। मज़बूत संस्थान, आपसी सीख और साझेदारी की भावना यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास समावेशी और सतत हो तथा हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो।

विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य तक पहुंचना केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक साझा राष्ट्रीय प्रयास है। सहकारी संघवाद भरोसे, सहयोग और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसमें केंद्र, राज्य, जिले और स्थानीय संस्था मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं और लोगों का जीवन बेहतर बनाते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय ज़रूरतों के साथ जोड़कर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे।

जैसे-जैसे भारत अपने विकास की यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, सहकारी संघवाद नागरिक-केंद्रित शासन का मार्गदर्शन करता रहेगा, जिससे हर राज्य, जिले और ब्लॉक को राष्ट्रीय प्रगति में योगदान करने का मौका मिलेगा। इस सामूहिक प्रयास में, प्रधानमंत्री का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का विजन साकार होता है, जो भारत को 'विकसित भारत@2047' के सामूहिक लक्ष्य के और करीब ले जाता है। ❑